

फर्द अहकाम

न्यायालय उप जिला कलेक्टर वजीरपुर, जिला सवाई माधोपुर

उण्डीलाल

बनाम

गोपाल

किरम प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा

मुकदमा नं०...../2025

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनेशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
12.06.2025	<p>यह प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थी की ओर से श्री सतीश कुमार शर्मा, एडवोकेट ने न्यायालय के समक्ष पेश किया। प्रार्थी के वकील को सुना गया। प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जावे। तलबी अप्रार्थीगण जरिये नोटिस की जाकर पत्रावली दिनांक 31.07.2025 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;"><i>[Signature]</i></p>	<p style="text-align: right;">1444-25</p>
31/7/25	<p>पत्रावली पेश हुई। वकील जयदीप उपाध्याय। तलबी अप्रार्थीगण नहीं की गईं। अस्थाई निषेधाज्ञा के तलबी अप्रार्थीगण जरिये नोटिस जारी किए गए। पत्रावली दिनांक 11/8/25 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;"><i>[Signature]</i></p>	<p style="text-align: right;">1444-25</p>
11/8/25	<p>पत्रावली पेश हुई। वकील जयदीप उपाध्याय। नोटिस जारी। पत्रावली वास्तु में जारी नोटिस दिनांक 13/11/25 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;"><i>[Signature]</i></p>	<p style="text-align: right;">1444-25</p>
13/11/25	<p>पत्रावली पेश हुई। वकील जयदीप उपाध्याय। अप्रार्थीगण की ओर से श्री सतीश कुमार शर्मा एडवोकेट ने अस्थाई निषेधाज्ञा पेश किया जो अभिलेख वास्तु में अस्थाई निषेधाज्ञा तलबी अप्रार्थीगण जरिये नोटिस जारी किया गया। पत्रावली वास्तु में पत्रावली दिनांक 13/11/25 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;"><i>[Signature]</i></p>	<p style="text-align: right;">1444-25</p>
8.1.26	<p>पत्रावली पेश हुई। वकील जयदीप उपाध्याय। पत्रावली वास्तु में पत्रावली दिनांक 19/1/26 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;"><i>[Signature]</i></p>	<p style="text-align: right;">1444-25</p>



ब्र हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनेशियल जज

नम्बर व
जो इस हु
में जारी हु

13/12/26

पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित थे।
पत्रावली पेश की। गाना 1. थपलियल पत्रावली
किमा पत्रावली वाले वरत रिवांक 9/12/26 की
पेश की है

9/12/26

पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित थे।
वरत उभयपक्ष उपस्थित हुनी गई। वकील पक्षी ने अपने
पत्रावली व वकील उभयपक्ष ने अपने पत्रावली के अनुसार
ही वरत की। वकील पक्षी ने अपने कथन के उल्लेख
इत विवाहित का स्थिति वालो शर है इतलिश् भूल वाड के
निस्लाखन तक उभयपक्षों के अर्थात् निषेधना के पावड
किमा पाके। वकील उभयपक्ष ने भी अपनी वरत अपने
पत्रावली के अनुसार करते हुये अर्थात् निषेधना को निरस्त
करते का निवेदन किया। वरत पर मनन किमा गमा
पत्रावली का उभयपक्ष किमा गमा वाड की महलला को
रोकने के लिये ~~इत उभयपक्ष उभयपक्षी उभयपक्षी~~
अर्थात् और सामान्य को अर्थात् नं० 3063 2000 0.28
है० ग्राम पीलीडा (७) लहलील वकीलपुर पर भूल वाड के
निस्लाखन तक अर्थात् निषेधना ले पावड किमा पाता
है कि वे सामान्य के कथे वरत की अर्थात् वरत वाड
उभयपक्ष ना करे ना ही किमी अन्य के कथे, पत्रावली
की वरत वाड ले कर ना कर ले कर ही वरत वाड लहलील उभय
वाड के लिये रलंउ 26/12/26

उपखण्ड अधिकारी
वजीरपुर